बिरंची नारायण
पूर्व विधायक, बोकारो
मुख्य सचेतक (विरोधी दल)
झारखण्ड विधानसभा

पत्रांक : BK/9757/25

राँची आवास : आवास सं.–ई–275
सेक्टर–2, धुर्वा, राँची, झारखण्ड
बोकारो आवास : क्वार्टर नं.–220, सेक्टर–1बी,
बोकारो स्टील सिटी, बोकारो
मोबाईल : +91 9546101100
ई–मेल : biranchi1271@gmail.com

दिनांक : 09/6/25

सेवा में,

श्रीमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
राँची, झारखण्ड

विषय :– **बोकारो की विधायक (सदस्य, बोकारो विधानसभा क्षेत्र–36, झारखण्ड विधानसभा) श्रीमति श्वेता सिंह के संबंध में शिकायत और विधानसभा चुनाव, 2024 में शपथ पत्र पर नामांकन पत्र– Form-26 में गलत सूचना देने और सूचना को छिपाने के आलोक में उनकी सदस्यता रद्द करवाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **दिनांक 21.05.2025 को उक्त संबंध में दिया गया आवेदन।**

महाशय,

सविनय निवेदन है कि :–

1. यह कि, दिनांक– **21.05.2025** को भारतीय जनता पार्टी, झारखण्ड प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलकर आपको बोकारो की विधायक (सदस्य, बोकारो विधानसभा क्षेत्र, झारखण्ड विधानसभा) श्रीमति श्वेता सिंह के संबंध में साक्ष्यों के साथ एक शिकायत आवेदन दिया था।

2. यह कि, वर्तमान में पता चला है कि श्रीमति श्वेता सिंह ने 2024 के अपने विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र भरने के समय गलत शपथ पत्र समर्पित किया है और उसमें उन्होंने कई तथ्यों को छुपाया है, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और उनका विवरण निम्नलिखित है, जो कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है :–

   I. 02 सरकारी क्वार्टर श्रीमति श्वेता सिंह के नाम से आवंटित होने के बावजूद भी उनका विवरण, उनकी बकाया राशि नामांकन पत्र भरने

के समय छिपायी गई और नामांकन पत्र– Form-26 के क्रमांक– 08 के (ii) Government Dues: Dues to departments dealing with Government accommodation कॉलम में भी इन्होंने अपने नाम से आवंटित निम्नलिखित 2 सरकारी क्वार्टर जिसपर बकाया था का No Dues Certificate भी संलग्न नहीं किया है:–

(क) क्वार्टर नं0– 562/D, Sector- IIID का BSL के सरकारी Quarter जो HSCL Pool के अंतर्गत बोकारो स्टील सिटी में एक Politician के रूप में इनको आवंटित है, के विवरण को भी छिपाया है, और इस संबंध में BSL से निर्गत No Dues Certificate भी संलग्न नहीं किया है, जबकि उक्त गलत जानकारी शपथ पत्र के रूप में Notary Public से सत्यापित करके प्रस्तुत किया गया है, और

(ख) क्वार्टर नं0– 873, Sector- 3/A, Bokaro Steel City, जिसे श्रीमति श्वेता सिंह ने अपने नामांकन पत्र– फॉर्म– 26 में अपने पते के रूप में दिखाया है, जो उन्हें BSL द्वारा श्वेता सिंह, सचिव, ब्रम्हा सर्विसेज सोसाईटी के नाम से आवंटित है, के विवरण को भी छिपाया है, और इस संबंध में BSL से निर्गत No Dues Certificate भी संलग्न नहीं किया है, जबकि उक्त गलत जानकारी शपथ पत्र के रूप में Notary Public से सत्यापित करके प्रस्तुत किया गया है।

3. यह कि, इस प्रकार श्रीमती श्वेता सिंह विधायक पद के लाभ के साथ-साथ भारत सरकार के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत संचालित BSL के उक्त दोनों सरकारी आवास का लाभ भी ले रही है, जिसका सूचना उन्होंने नामांकन पत्र– Form-26 में संपादित शपथ-पत्र में छिपाया है।

4. यह कि, उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त दोनों सरकारी क्वार्टर श्रीमति श्वेता सिंह के नाम से आवंटित हैं और जैसी जानकारी मिली है कि 2024 में विधानसभा चुनाव के नामांकन के समय भी उक्त दोनों सरकारी क्वार्टर में श्रीमति श्वेता सिंह के किराये की राशि बकाया थी, जिसके संदर्भ में

उन्होंने नियमानुसार **No Dues Certificate** भी संलग्न नहीं किया है, एक गंभीर प्रकृति का अपराध है और इस संदर्भ में भारत का संविधान का अनुच्छेद– 191(1), 191(1)(a) और अनुच्छेद– 192 के तहत यह मामला लाभ का पद/ **(Office of Profit)** का मामला बनता है और इस संवैधानिक उपबंध के तहत इनकी सदस्यता रद्द किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

Article 191- Disqualifications for membership-

191(1)- A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State-

191(1)(a)- If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not disqualified its holders.

Article 192- Decision on questions as to disqualifications of members-

192(1)- If any questions arises as to whether a member of a house of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in Clause (1) of Article 191, the questions shall be referred for the decision of **the Governor and his decision shall be final.**

192(2)- Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

The Representation of The People Act, 1951 के Section 125A के तहत श्रीमति श्वेता सिंह ने गलत शपथ पत्र दिया है, जिसमें उनके द्वारा False Affidavit देने पर दण्ड का भी प्रावधान है।

5. यह कि, इसके अलावा दिनांक **21.05.2025** को आपको दिए गए आवेदन में श्रीमति श्वेता सिंह के द्वारा 4 Voter ID Cards होने की जानकारी दी गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

   I. EPIC No. GPV2611846- Shweta Singh/ श्?वेता सिंह, पति– संग्राम सिंह– बोकारो–36 से निर्गत।

   II. EPIC No. GPV9912379- Sweta Singh/ स्वेता सिंह, पति– संग्राम सिंह– बोकारो– 36 से निर्गत।

   III. EPIC No. ZUU1677376- Shweta Singh/ श्वेता सिंह, पिता– दिनेश कुमार सिंह– झाझा, बिहार से निर्गत।

   IV. EPIC No. OKP027096- Shwettaa Singh, W/o- Dr. Sangram Singh, बोकारो– 36 से निर्गत।

6. यह कि, इसी प्रकार श्रीमति श्वेता सिंह के द्वारा 2 Pan Card होने की भी शिकायत की गई थी, जो कि निम्नलिखित है :–

   I. PAN No. CECPS8218E- जिसमें श्रीमति श्वेता सिंह के पिता के नाम के कॉलम में श्री दिनेश सिंह अंकित है।

   II. PAN No. CWTPS5392A- जिसमें श्रीमति श्वेता सिंह के पिता के नाम के कॉलम में श्री संग्राम सिंह अंकित है।

7. यह कि, इसके अलावा मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि चुनाव आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध उनके द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र– Form-26 जो कि उन्होंने शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया है में उन्होंने बैंक से लिए गए 79,344/– रू० के ऋण (Consumer Loan) का भी

उल्लेख नहीं किया है और Union Bank के खाता संख्या– 452406520013586 Auto Loan (Personal) 28,00,000/-रू० का भी उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार उन्होंने ऋण की जानकारी छिपायी है जो कि The Representation of The People Act, 1951 के Section 33A के तहत एक गंभीर चूक है।

साथ ही उनके पति श्री संग्राम सिंह के नाम से भी लिए गए ऋण (Loan) का उल्लेख नहीं है।

उक्त दोनों तथ्यों की पुष्टि CIBIL जांच करने से हो जाएगी।

8. यह कि, इसके अलावा श्रीमती श्वेता सिंह ने अपने नामांकन पत्र – Form-26 में अपने पति श्री संग्राम सिंह के पैतृक संपत्ति, जो आज तक श्री संग्राम सिंह के पिता स्व. समरेश सिंह के नाम पर है, उसकी भी जानकारी शपथ-पत्र पर नहीं दी है, और सूचना को छिपाया है।

जिसकी पुष्टि www.jharbhoomi.in से की जा सकती है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि ऊपर वर्णित समस्त तथ्यों और संलग्न दस्तावेजों की गंभीरतापूर्वक गहन जांच करवाकर नियमानुसार **भारतीय संविधान के अनुच्छेद– 191 और 192** और The Representation of The People Act, 1951 के सुसंगत धाराओं के तहत उक्त विषय को लाभ का पद/ (Office of Profit) के अंतर्गत मानते हुए अविलंब श्रीमति श्वेता सिंह, विधायक, 36–बोकारो, विधानसभा क्षेत्र, झारखण्ड विधानसभा की सदस्यता रद्द करने संबंधित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

(बिरंची नारायण)